न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं. 18/2014/अपील

सजनादेवी धर्मपत्नी कैलाश चन्द जाति जाट नि. खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलार्थीनी

ब ना म

1. ग्राम पंचायत, मोटलावास जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का, मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 266 दिनांक 20.06.05 तस्दीक ग्राम पंचायत मोटलावास

उपस्थिति— 1. श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या वकील अपीलार्थीनी की ओर से

निर्णय दिनांक— 20.04.2015

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है भूमि ख.नं. 899 रकबा 3.32 है0 वाके ग्राम खोखरों का बास प.मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का खातेदार काश्तकार पन्नाराम, जगदीश प्रसाद, बनवारीलाल, फूलचन्द पुत्रगण छोटूराम जाति जाट निवासी तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर ने उक्त भूमियों का दो विक्रय पत्र दिनांक 12.5.05 को नानीदेवी धर्मपत्नी पांचूराम हि. 24/25, श्रीमती मीरादेवी धर्मपत्नी बाबूलाल हि. 14/45 व श्रीमती सरजूदेवी धर्मपत्नी हणमान हि. 7/45 जाति जाट निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर दर विक्रीत हि. 45/52 को दिनांक 12.5.05 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया तथा दूसरा विक्रय पत्र रामकिशोर पुत्र श्रवणराम जाति जाट निवासी नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के पक्ष में दिनांक 12.5.2005 को दर्ज करवाया दिया। उक्त विक्रय पत्रों का ना.करण ग्राम पंचायत मोटलावास ने दिनांक 20.6.2005 को केतागण के पक्ष में स्वीकार कर तस्दीक कर दिया तथा पटवारी हल्का ने उक्त ना.करण भरते वक्त ना.करण में नानीदेवी, मीरादेवी, सरजूदेवी के हिस्से के आगे जमाबंदी में एवं विक्रय पत्र में दर्ज दर हिस्सा 45/52 दर्ज होने से सहवन से रह गया तथा नानीदेवी उर्फ नानादेवी, मीरादेवी, सरजूदेवी व रामकिशोर पुत्र श्रवणलाल ने उक्त भूमि खसरा नं. 699 संपूण का विक्रय पत्र दिनांक 12.03.2013 को अपीलांट के पक्ष में पंजीबद्ध करवा दिया तथा कब्जा केता को संभला दिया। उक्त विक्रय पत्र का ना.करण खुलवाने के लिए जब अपीलांट ने ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी के पास आवेदन किया तो ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी ने ना.करण सं. 266 में दर हिस्सा 45/52 सहवश अंकन होने से छूटना बताया और दुरूस्ती का आवेदन देने के लिए कहा जिस पर प्रार्थीनी ने श्रीमान् के समक्ष आवेदन किया जो मात्र सहवश—भूलवश हुई त्रुटि है तथा विक्रय पत्रों में दर हिस्सा दर्ज है। इसलिए उक्त त्रुटि दुरूस्त करने से किसी के भी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि ना.करण सं. 266 दिनांक 20.6.05 में वर्णित भूमि ख.नं. 699 में दर हिस्सा 45/52 जोड़ा जाना प्रार्थनीय है।

Scanned with CamScanner

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनु. रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. बहस वकील अपीलार्थीनी की एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलार्थीनी ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का मोटलावास द्वारा ना.करण सं. 266 में भरते समय दर हिस्सा 45/52 सहवन से छोड़ दिया है जबकि विक्रय पत्रों में दर हिस्सा दर्ज है। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार कर ना.करण सं. 266 दिनांक 20.06.05 ग्राम पंचायत, मोटलावास तहसील दांतारामगढ में वर्णित भूमि ख.नं. 699 में दर हिस्सा 45/52 जोड़ा जाना प्रार्थनीय है।
4. हमने वकील अपीलार्थीनी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख विक्रय पत्रों एवं ना.करण सं. 266 एवं पटवारी हल्का मोटलावास की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विक्रय विलेख एवं पटवारी हल्का, मोटलावास की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम खोखरों का बास के आराजी ख.नं. 699 रकबा 3.32 की खातेदार जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार नानीदेवी धर्मपत्नी पांचूरमा हि. 24/45 मीरादेवी धर्मपत्नी बाबूलाल हि. 14/45, सरजूदेवी धर्मपत्नी हणमान हि. 7/45 रामकिशोर पुत्र श्रवणराम हि. 7/52 जाति जाट नि. नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नाम से है। पन्नाराम जगदीशप्रसाद बनवारीलाल फूलचन्द पि. छोटूराम जाति जाट नि. तपीपल्या ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.5.05 के अनुसार नानीदेवी धर्मपत्नी पांचूराम हि. 24/45, मीरादेवी धर्मपत्नी बाबूलाल हि. 14/45, सरजूदेवी धर्मपत्नी हणमान हि. 7/45 जाति जाट नि. नेवटा को दर हि. 45/52 का विक्रय किया था एवं दिनांक 12.5.05 को ख.नं. 699 रकबा 3.32 के हि. 7/52 का विक्रय रामकिशोर पुत्र श्रवणराम जाति जाट नि. नेवटा के नाम हुआ था। इसका अमल जरिये ना.करण सं. 266 बेचान के आधार पर दिनांक 20.6.05 के द्वारा नानीदेवी धर्मपत्नी पांचूराम हि. 24/45, मीरादेवी धर्मपत्नी बाबूलाल हि. 14/45, सरजूदेवी धर्मपत्नी हणमान हि. 7/45, रामकिशोर पुत्र श्रवणराम हि. 7/52 नि. नेवटा तहसील सांगानेर के नाम हुआ। जिसमें नानीदेवी धर्मपत्नी पांचूराम हि. 24/45, मीरादेवी धर्मपत्नी बाबूलाल हि. 14/45, सरजूदेवी धर्मपत्नी हणमान हि. 7/45 दर्ज ना.करण में हुआ इनके आगे ना.करण मं दर्ज हि. 45/52 दर्ज होने से रह गया। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर ग्राम गोगावास प.मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के ना.करण सं. 266 दिनांक 20.06.05 बतस्दीक ग्राम पंचायत, मोटलावास आंशिक स्वीकार कर विक्रय पत्र दिनांक 12.05.05 के अनुसार ना.करण सं. 266 भूमि ख.नं. 699 रकबा 3.32 है. में क्रयकर्ता नानीदेवी धर्मपत्नी पांचूराम हि. 24/45, मीरादेवी धर्मपत्नी बाबूलाल हि. 14/45, सरजूदेवी धर्मपत्नी हणमान हि. 7/45 के आगे दर हि. 45/52 जोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। तहरीर जारी हो।
5. यह निर्णय आज दिनांक 20.04.2015 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

दांतारामगढ